संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
मध्य प्रदेश

क्रमांक / अ.प्रशा. / एफ–325 / सेल–6 / 2020 / भोपाल, दिनांक / /2020

प्रति,

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म0प्र0।
समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म0प्र0।

विषयः–हथकड़ी लगाकर करीब ढाई किलोमीटर दूरी तक नेशनल हाईवे पर जुलूस निकालने अपमानित होने पर कार्यवाही के संबंध में। (म0प्र0मानव अधिकार आयोग प्र.क्र.4670 / जबलपुर 2017 दिनांक 06 / 08 / 2018)

संदर्भः–आयोग शाखा का पत्र क्र / 4 / आयोग / एफ–388 / 2020 / 689 दि. 26 / 08 / 2020

––00––

उपरोक्त विषयक प्रकरण में आयोग द्वारा संचालनालय स्वास्थ्य सेवाओं के निर्देश के बावजूद बंदियों की नियमित रूप से अनिवार्य जॉचें नही करवाने का लेख करते हुये अनुशंसा क्र. 3 में निर्देशित किया गया है कि :–

1. संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें भोपाल के पत्र क्र./अ.प्रशा. / सेल–6 / एफ–275 / 2019 / 252 दिनांक 21 / 02 / 2019 (छायाप्रति संलग्न) मे दिये गये निर्देश "जेलों में निरूद्ध होने के लिये आने वाले प्रत्येक बंदी का आवश्यक रूप से क्षय रोग (टी.बी) एच.आई.व्ही. / एड्स, हेपेटाईटिस–बी, हद्यघात, एनीमिया, मधुमेह टेस्ट एवं अन्य गंभीर बीमारियों की जॉचें नियमित रूप से करवाना सुनिश्चित करें।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशों का कडाई से पालन करवाना सुनिश्चित करें।

संलग्नः–प्रकरण में आयोग द्वारा की गई अनुशंसा।

(डॉ.उपेन्द्र दुबे)
संयुक्त संचालक,(अ.प्रशा.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं,म0प्र0

पृ. क्रमांक / अ.प्रशा. / एफ–325 / सेल–6 / 2020 / 977 भोपाल, दिनांक 05 / 09 / 2020

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, जेल विभाग, मध्यप्रदेश।
2. सचिव म0प्र0 मानव, अधिकार आयोग, पर्यावास भवन अरेरा हिल्स भोपाल, मध्यप्रदेश।
3. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश।
4. जेल महानिर्देशक, जेल मुख्यालय भोपाल, मध्यप्रदेश।
5. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश।
6. उप संचालक, आयोग शाखा, स्थानीय कार्यालय की ओर शाखा के संदर्भित पत्र के संबंध में।
7. एम.आई.एस. कक्ष, स्थानीय कार्यालय की ओर विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

संयुक्त संचालक,(अ.प्रशा.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं,म0प्र0।

F:\HA DHS 2020\Cell-6